भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी, 4, 1972/माघ 15, 1893
No. 48] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1972 MAGHA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS
(Department of Petroleum)

ORDER

New Delhi, the 4th February 1972

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby make the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In this Order unless the context otherwise requires,—

(a) "competent authority" means any person or authority authorised by the State Government by notification in the Official Gazette to exercise the powers and to perform the functions of the competent authority under this Order for such area as may be specified in the notification;

(b) "dealer" means any person carrying on directly or otherwise the business of sale, or storage for purposes of sale, of paraffin wax, whether wholesale or retail, or whether in conjunction with any other business or not, and includes his representative or agent;

(c) "declared price" means the price declared under clause 3;

(d) "paraffin wax" includes match wax;

(e) "producer" means a person carrying on the business of production of paraffin wax.

3. **Fixation of declared price of paraffin wax.**—(1) The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, fix the declared price of paraffin wax either for the whole State or for different areas thereof and different prices may be fixed for different kinds of paraffin wax.

(2) While fixing the declared price of paraffin wax under sub-clause (1), the State Government shall have regard to the following factors, namely:—

(i) ex-refinery price as fixed by the producer;

(ii) transportation charges from refinery to the place of sale by the route most economical by rail and, with respect to places not connected by rail, by rail-cum-road or by road, as the case may be;

(iii) cartage, storage and other handling charges not covered by item (ii);

(iv) commission authorised by the distributing companies specified in the Schedule appended to this Order;

(v) such other factors as the State Government considers necessary in the circumstances of the case

4. **Paraffin wax not to be sold at a price in excess of the declared price.**—On and from such date as may be notified by the State Government in this behalf in the Official Gazette, no dealer shall sell or cause to be sold paraffin wax to any person at a price in excess of the declared price.

5. **Paraffin wax not to be sold except under an allotment order issued by the competent authority.**—No dealer shall sell or cause to be sold paraffin wax to any person except in pursuance of an allotment order issued to such person by the competent authority of the area in which the dealer has his place of business nor shall the dealer sell or cause to be sold paraffin wax in excess of the quantity specified by the competent authority in the allotment order.

6. **Persons in possession of paraffin wax to make declarations.**—(1) Every person possessing paraffin wax in any quantity whatsoever except in the capacity of a dealer or a producer or in consequence of an allotment order issued by the competent authority or as a *bona fide* transporter transporting paraffin wax on behalf of any producer or dealer or allottee shall—

(i) in the case of a person possessing paraffin wax immediately before the commencement of this Order, within fifteen days of such commencement; and

(ii) in the case of any other person, within fifteen days of the coming into possession of the paraffin wax;

make a declaration in Form A appended to this Order to the competent authority of the fact of possession of such paraffin wax.

(2) No person possessing paraffin wax except in any of the capacities referred to in sub-clause (1) shall dispose of such paraffin wax, whether by way of sale or otherwise, except under and in accordance with a permit issued in this behalf by the competent authority.

7. **Dealers of paraffin wax to be licensed.**—No person shall carry on the business of a dealer except under and in accordance with the terms and conditions of a valid licence granted to him under this Order.

8. **Application for grant of licence.**—(1) Any person desiring to carry on the business of a dealer may make an application in duplicate for the grant of a licence to the competent authority in Form B appended to this Order together with a fee of rupees twenty-five.

(2) The competent authority may, after making such inquiry as it deems fit, either grant or refuse to grant the licence.

(3) Where the competent authority refuses to grant a licence, it shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the applicant.

(4) Every licence granted under this Order shall be in Form C appended to this Order.

(5) Every licence granted under this Order shall be valid for a period of three years commencing from the date of grant of the licence and may be renewed for a like period on an application therefor being made.

(6) Every application for renewal of a licence shall be accompanied by the licence which is sought to be renewed together with a renewal fee of rupees twenty-five and it shall be made not less than thirty days before the date of expiry of the licence which is sought to be renewed.

9. **Cancellation of licences.**—The competent authority may, without prejudice to any other action that may be taken against a dealer under he Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), by order in writing cancel a licence for breach of any of the terms and conditions of the licence or for contravention of any of the provisions of this Order and a copy of the order shall be communicated to the dealer:

Provided that no licence shall be cancelled under this clause unless the dealer has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

10. **Appeal.**—Any person aggrieved by an Order made by the competent authority under clause 8 or under clause 9 may, within thirty days of the receipt of a copy of the order by him, prefer an appeal to the State Government and the State Government may after giving the applicant an opportunity of being heard, confirm, reverse or modify such order.

11. **Power of Central Government to issue directions regarding production, etc., of paraffin wax.**—The Central Government may, from time to time, by general or special order, issue to any producer such directions as it considers necessary regarding the production, maintenance of stocks, storage, sale, grading, packing, weighment, disposal, delivery or distribution of any kind of paraffin wax and upon the issue of such directions such producer shall be bound to comply therewith.

12. **Paraffin wax not to be transported except under permit.**—The Central Government may, by general or special order, direct that no person shall transport or offer or accept for transport, whether by road or rail or water or air, any kind of paraffin wax from one State to another except under a general or special permit issued by it in this behalf.

13. **Submission of returns to competent authority.**—(1) Every dealer shall submit to the competnt authority a fortnightly report regarding the stocks of paraffin wax received, sales of paraffin wax effected and the names and address of persons to whom such sales were effected.

(2) The return, for the first fortnight shall be submitted on the twentieth of the month to which the fortnight relates and the return for the second fortnight shall be submitted before the fifth of the month immediately succeeding the month to which the fortnight relates.

14. **Display of certain particulars.**—Every dealer shall cause to be permanently displayed on a special board to be maintained for the purpose at or near the entrance of the place of sale showing—

(a) the varieties of paraffin wax held by him from time to time in stock for ready delivery and the quantities thereof;

(b) the declared price of each such variety of paraffin wax; and

(c) the price at which he proposes to sell each such variety of paraffin wax.

15. **Dealers not to refuse to sell paraffin wax in pursuance of an allotment order from the competent authority.**—No dealer shall refuse to sell any paraffin wax which he is required to sell in pursuance of an allotment order issued by the competent authority.

16. **Persons purchasing paraffin wax to utilise the paraffin wax for the purpose for which it was purchased.**—No person purchasing paraffin wax in pursuance of an allotment order issued by the competent authority shall utilise such paraffin wax other than for the purpose for which such paraffin wax was directed to be sold and every such person shall submit a report to the competent authority regarding the utilisation of the paraffin wax purchased by him, within such period as may be directed by the competent authority.

17. **Power of entry, search and seizure.**—(1) Any officer authorised by the State Government by a general or special order in this behalf may, with a view to securing com-

pliance with the provisions of this Order or to satisfying himself that the provisions of this Order have been complied with an with such assistance, if any, as he thinks fit—

(i) enter, inspect or break open and search any place or premises, vehicle or vessel which he has reason to believe has been, or is being, used for the contravention of any of the provisions of this Order; and

(ii) search, seize and remove stocks of paraffin wax and the animals, vehicles, vessels or the conveyances used in carrying the paraffin wax in contravention of any of the provisions of this Order and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of the said stocks and the animals, vehicles, vessels or other conveyance so seized in a court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

THE SCHEDULE

[*See* Clause 3(2)(iv)]

Names of Distributing Companies

1. The Burmah-Shell Oil Storage and Distributing Co. of India Ltd., Bombay (Incorporated in England).

2. The ESSO Eastern Inc., Parliament Street, Post Box No. 255, New Delhi (Incorporated in the U.S.A. with limited liabilit).

3. The Indo-Burma Petroleum Company Ltd., Allahabad Bank Building, Apollo Street, Fort, Bombay-1.

4. The Assam Oil Company Limited, (The Burmah Oil Group of Companies) 17, Parliament Street, Post Box No. 203, New Delhi-1. (Incorporated in England).

5. The Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), 254-C, Dr. Annie Besant Road, Prabhadevi, Bombay-25-DD. (Incorporated in India).

FORM A

[*See* Clause 6(1)]

Form of Declaration

To

The Competent Authority

State of———————————

(1) Full name and address of person making the declaration.

(2) Quantity and kind of paraffin wax possessed.

(3) The manner in which the paraffin wax being declared came into possession.

(4) The purpose for which paraffin wax was obtained.

(5) Situation of the premises where the Paraffin Wax is stored/kept.

I/we declare that the information given above is true to my/our knowledge and belief.

Signature of applicant

Date:

Place:

FORM B

[*See* Clause 8(1)]

Application for the grant of licence.

To

The Competent authority,

State of———————

(1) Full name and address of the applicant.

(2) Is the applicant a new comer as a dealer?
(Say yes or no).

(2) (a) If yes, the kinds of paraffin wax in which the applicant proposes to deal and the name of the firm whom he represents; if he so represents.

(3) Situation of the dealer's premises where the paraffin wax is/will be (a) stored and (b) sold.

(3) (a) The kinds of paraffin wax in which the applicant desires to carry on business.

(4) How long has the applicant been trading in Paraffin Wax.

(5) Quantities of each kind of paraffin wax (in tonnes) in my/our possession on the date of application at the sale depot and in godowns attached thereto.

(6) I enclose a certificate from the principals whom I represent or whom I intend to represent indicating the source/sources from which paraffin wax will be obtained.

(7) I am depositing the prescribed licence fee alongwith this application.

DECLARATION

(a) I/We declare that the information given above is true to my/our knowledge and belief.

(b) I/We carefully read the terms and conditions of the licence given in form 'C' appended to the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order 1972 and agree to abide by the same.

Signature of the applicant.

Name and address of the applicant.

(In block letters).

Date:

Place:

FORM C

[*See* Clause 8(4)]

Form of Licence

Licence No.

Date of Issue.

Valid upto.

Licence to carry on the business of a dealer in paraffin wax in the State of..... is hereby licensed to carry on the business of selling paraffin wax at the place specified below in the State.....subject to the terms and conditions mentioned below and to the provisions of the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972.

Description of the place of business

(1) Name of style by which the business is carried on.

(2) Location of sale depot.

(3) Location of godowns attached to sale depot.

(4) Kinds of paraffin wax for which licensed.

Date.

Competent Authority.

State of.

Terms and conditions of licence

(1) The licence shall be displayed in a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.

(2) The licensee shall comply with the provisions of the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972 and the notifications issued thereunder for the time being in force.

(3) The licence shall come into force immediately and will be valid upto..... unless previously cancelled or suspended.

(4) The licensee shall from time to time report to the licensing authority any change in the premises where he carries on his business of selling paraffin wax.

NOTE.—Where the business of selling paraffin wax is carried on, at more than one place a separate licence should be obtained in respect of each place.

[No. F. K.11011/6/71-(SU)]

P. K. DAVE, Addl. Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 71(अ०).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) यह आदेश पैराफिन मोम (प्रदाय, वितरण और कीमत नियंत्रण) आदेश, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषायें** :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, इस आदेश के अधीन, ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "व्यवहारी" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो पैराफिन मोम के, थोक या खुदरा, विक्रय का कारबार, या विक्रय के प्रयोजनों के लिए भण्डारकरण करता है, जो चाहे किसी अन्य कारबार के साथ-साथ किया जाए अथवा नहीं, और इसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है;

(ग) "घोषित कीमत" से खण्ड 3 के अधीन घोषित कीमत अभिप्रेत है;

(घ) "पैराफिन मोम" के अन्तर्गत मैच वैक्स भी है ।

3. **पैराफिन मोम की घोषित कीमत का नियतन** :—(1) राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में घोषणा द्वारा, पैराफिन मोम की घोषित कीमत या तो सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियत कर सकेगी और विभिन्न प्रकार के पैराफिन मोम के लिए, विभिन्न कीमतें नियत की जा सकेंगी ।

(2) उपखण्ड (1) के अधीन पैराफिन मोम की घोषित कीमत नियत करते समय, राज्य सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :—

(i) उत्पादक द्वारा यथानियत परिष्करण-शाला-दाह्य कीमत;

(ii) परिष्करण-शाला से, सर्वाधिक किफायती रेल मार्ग से, और रेल द्वारा न जुड़े हुए स्थानों की बाबत, यथास्थिति रेल-एवं-सड़क या सड़क द्वारा, विक्रय-स्थान तक परिवहन-प्रभार;

(iii) मद (ii) के अन्तर्गत न आने वाले ढलाई, भण्डारकरण और उठाने-धरने के अन्य प्रभार;

(iv) इस आदेश में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वितरण कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत कमीशन;

(v) ऐसी अन्य बातें जिन्हें राज्य सरकार मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे ।

4. **पैराफिन मोम घोषित कीमत से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जायेगा** :—ऐसी तारीख को और से, जो राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित करे, कोई भी व्यवहारी किसी व्यक्ति को घोषित कीमत से अधिक कीमत पर पैराफिन मोम न तो बेचेगा और न बिकवाएगा ।

5. **पैराफिन मोम सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आबंटन आदेश के अधीन के सिवाय नहीं बेचा जायगा** :—कोई भी व्यवहारी किसी व्यक्ति को, उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जहां व्यवहारी का सामान्य कारबार का स्थान हो, ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए आबंटन आदेश के अनुसरण में के सिवाए, पैराफिन मोम नहीं बेचेगा और न बिकवाएगा, और न ही व्यवहारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटन आदेश में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक मात्रा में पैराफिन मोम बेचेगा और बिकवाएगा ।

6. **जिन व्यक्तियों के कब्जे में पैराफिन मोम होगा वे घोषणा करेंगे** :—(1) किसी भी मात्रा में पैराफिन मोम कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, व्यवहारी या उत्पादक की हैसियत, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आबंटन आदेश के परिणामस्वरूप, या किसी उत्पादक या व्यवहारी या आबंटिती की ओर से पैराफिन मोम का परिवहन करने वाले सद्भाविक परिवहनकर्ता के रूप में, के सिवाए—

(i) इस आदेश के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व पैराफिन मोम कब्जे में रखने वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे प्रारंभ के पन्द्रह दिन के भीतर; और

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, पैराफिन मोम के कब्जे में आने के पन्द्रह दिन के भीतर,

इस आदेश से संलग्न प्ररूपक में, सक्षम प्राधिकारी को ऐसा पैराफिन मोम कब्जे में होने के तथ्य की घोषणा करेगा ।

(2) पैराफिन मोम कब्जे में रखने वाला कोई भी व्यक्ति, उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट हैसियतों में से किसी में के सिवाए, ऐसे पैराफिन मोम का, विक्रय के रूप में या अन्यथा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अधीन और के अनुसार के सिवाए, निपटारा नहीं करेगा ।

7. **पैराफिन मोम के व्यवहारियों का अनुज्ञप्त होना** :—कोई व्यक्ति, व्यवहारी का कारबार, इस आदेश के अधीन उसे मंजूर विधिमान्य अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अधीन और के अनुसार के सिवाए, नहीं चलाएगा ।

8. **अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये आवेदन** :—(1) व्यवहारी का कारबार करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस आदेश से संलग्न प्ररूप ख में, पचीस रुपए की फीस सहित, सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए, दो प्रतियों में, आवेदन कर सकेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी वह जैसी जांच ठीक समझे उसे करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा अथवा मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा ।

(3) जहां सक्षम अधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर करने में इंकार करे वहां वह ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित कारणों की एक प्रति आवेदक को संसूचित की जाएगी ।

(4) इस आदेश के अधीन मंजूर प्रत्येक अनुज्ञप्ति इस आदेश से संलग्न प्ररूप ग में होगी ।

(5) इस आदेश के अधीन मंजूर प्रत्येक अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति की मंजूरी की तारीख से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी, और उसके लिए आवेदन करने पर उतनी ही अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी ।

(6) अनुज्ञप्ति के पुनर्नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ वह अनुज्ञप्ति जिसका पुनर्नवीकरण कराना ईप्सित है और पचीस रुपए की पुनर्नवीकरण फीस भी होगी और यह उस अनुज्ञप्ति के, जिसका पुनर्नवीकरण कराना ईप्सित है, अवसान की तारीख से तीस दिन से अन्यून पूर्व किया जाएगा ।

9. **अनुज्ञप्तियों का रद्दकरण**:—सक्षम प्राधिकारी, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन व्यवहारी के विरुद्ध जो कोई अन्य कार्रवाई की जाए उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों में से किसी के भंग के कारण या इस आदेश के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन के कारण अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा और आदेश की एक प्रति व्यवहारी को संसूचित की जाएगी :

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक व्यवहारी को इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

10. **अपील** :—सक्षम प्राधिकारी द्वारा खण्ड 8 या खण्ड 9 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा आदेश की प्रति के प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसे उलट सकेगी या उपान्तरित कर सकेगी ।

11. **पैराफिन मोम आदि के बारे में निदेश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति**:—केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी प्रकार के पैराफिन मोम के उत्पादन, स्टाक के अनुरक्षण, भण्डारकरण, विक्रय, ग्रेडिंग, पैकिंग, तौल, व्ययन, परिदान या वितरण के बारे में ऐसे निदेश जैसे वह आवश्यक समझे, जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी होने पर ऐसा उत्पादक उनका अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

12 **पैराफिन मोम का परिवहन, अनुज्ञापत्र के अधीन के सिवाय, नहीं किया जायगा**:—केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी प्रकार के पैराफिन मोम का इस निमित्त जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश के अधीन के सिवाए, सड़क या रेल या जल या वायु मार्ग द्वारा, परिवहन नहीं करेगा या परिवहन के लिए प्रस्थापित या स्वीकार नहीं करेगा ।

13. **सक्षम प्राधिकारी को विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना** :—(1) प्रत्येक व्यवहारी प्राप्त पैराफिन मोम के स्टाक, पैराफिन मोम के किए गए विक्रय और जिन व्यक्तियों को ऐसे विक्रय किए गए उनके नामों और पतों की पाक्षिक रिटर्न सक्षम प्राधिकारी को देगा ।

(2) प्रथम पक्ष के लिए विवरणी उस मास की जिससे कि पक्ष संबद्ध है, बीस तारीख को प्रस्तुत की जाएगी और दूसरे पक्ष के लिए विवरणी, उस मास के, जिससे कि पक्ष संबद्ध है, ठीक उत्तर वर्तीमास की पांचवीं तारीख से पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।

14. **कतिपय विशिष्टियों का संप्रदर्शन** :—प्रत्येक व्यवहारी विक्रय स्थान के प्रवेश-स्थल पर या के पास इस प्रयोजन के लिए बनाए रख जाने वाले विशेष बोर्ड पर निम्नलिखित को दर्शित करते हुए स्थायी रूप से संप्रदर्शित कराएगा :—

(क) इसके द्वारा तैयार परिदान के लिए स्टाक में समय-समय पर धारित पैराफिन मोम की किस्में और उनकी मात्रा;

(ख) पैराफिन मोम की ऐसी प्रत्येक किस्म की घोषित कीमत; और

(ग) वह कीमत जिस पर वह पैराफिन मोम की ऐसी प्रत्येक किस्म के विक्रय की प्रस्थापना करता है ।

15. **व्यवहारी, सक्षम प्राधिकारी के आबंटन आदेश के अनुसरण में पैराफिन मोम के विक्रय से इन्कार नहीं करेंगे** :—कोई भी व्यवहारी किसी पैराफिन मोम का विक्रय करने से इन्कार नहीं करेगा जिसके विक्रय की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आबंटन आदेश के अनुसरण में उससे अपेक्षा हो ।

16. **पैराफिन मोम का क्रय करने वाले व्यक्ति पैराफिन मोम को उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करेंगे जिसके लिए उसका विक्रय किया गया था** :—सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आबंटन आदेश के अनुसरण में पैराफिन मोम का क्रय करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे पैराफिन मोम को उस प्रयोजन से, जिसके लिए ऐसे पैराफिन मोम का विक्रय निर्दिष्ट किया गया था, भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को, उसके द्वारा क्रय किए गए पैराफिन मोम के उपयोग के बारे में, ऐसी अवधि के भीतर जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

17. **प्रवेश, तलाशी और अधिग्रहण की शक्ति** :—(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, इस आदेश के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है और ऐसी सहायता से जैसी वह ठीक समझे :—

(i) किसी स्थान या परिसर, यान या जलयान, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसका प्रयोग इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करने के लिए किया गया है या किया जा रहा है, में प्रवेश कर सकेगा, का निरीक्षण कर सकेगा या को तोड़कर खोल सकेगा और तलाशी ले सकेगा; और

(ii) पैराफिन मोम के स्टाकों और इस आदेश के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में पैराफिन मोम को अभिवहन में प्रयुक्त पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा, का निरीक्षण कर सकेगा और रोक सकेगा और तत्पश्चात् उक्त स्टाकों और पशुओं, यानों, जलयानों या इस प्रकार अभिग्रहीत अन्य वाहनों का न्यायालय में पेश होना सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश

करने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1895 (1895 का 5) की धारा 102 और 103 के उपबन्ध, यावत्शक्य इस आदेश के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

अनुसूची

(खण्ड 3(2)(iv) देखिए)

वितरक कम्पनियों के नाम

1. दि बर्मा-शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कं० आफ इंडिया,, मुम्बई (इंगलैण्ड में निगमित)

2. दि एस्सो ईस्टर्न इन्क,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स सं० 255
नई दिल्ली ।
(सीमित दायित्व सहित यू० एस० ए० में निगमित)

3. दि इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड,
इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, अपोलो स्ट्रीट,
पोर्ट, मुम्बई–1

4. दि आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड
(दि बर्मा आयल ग्रुप आफ कम्पनीज)
17, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स सं० 203
नई दिल्ली––1
(इंगलैंड में निगमित)

5. दि इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड,
(विपणन प्रभाग)
254–सी, डा० एनी बीसेण्ट रोड, प्रभादेवी,
मुम्बई–25–इंडी
(भारत में निगमित)

प्ररुप क

(खण्ड 6(1) देखिए)

घोषणा का प्ररूप

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी

.....राज्य

(1) घोषणा करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पता

(2) रखें हुए पैराफिन मोम की मात्रा और प्रकार

(3) वह रीति जिससे घोषित किया जा रहा पैराफिन मोम कब्जे में आया

(4) वह प्रयोजन जिसके लिए पैराफिन मोम अभिप्राप्त किया गया था

(5) जिस परिसर में पैराफिन मोम का भण्डारकरण किया गया है/रखा गया है उसकी स्थिति

मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप ख

(खण्ड 8(1) देखिए)

अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी

.....राज्य

(1) आवेदक का पूरा नाम और पता ।

(2) क्या आवेदन व्यवहारी के रूप में नवागन्तुक है ? हां या नहीं कहिए ।

(2) (क) यदि हां तो पैराफिन मोम की वे किस्में जिनमें आवेदक संव्यवहार करना चाहता है और उस फर्म का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है; यदि वह इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है ।

(3) व्यवहारी के परिसरों की जहां पैराफिन मोम का (क) भण्डारकरण किया गया है/किया जाएगा और (ख) विक्रय किया गया है/किया जाएगा स्थिति ।

(3) (क) पैराफिन मोम की किस्में जिनमें आवेदक कारबार चलाना चाहता है ।

(4) आवेदक पैराफिन मोम का व्यापार कब से करता आ रहा है ।

(5) विक्रय डिपों में और उससे संलग्न गोदामों में आवेदन की तारीख को मेरे/हमारे कब्जे में पैराफिन मोम की प्रत्येक किस्म की मात्रा (मीटरिक टनों में)

(6) मैं जिन मालिकों का प्रतिनिधित्व करता हूं या जिनका प्रतिनिधित्व करने का मेरा आशय है उनसे, वह/वे स्रोत दर्शाते हुए जिनसे पैराफिन मोम अभिप्राप्त किया जाएगा एक प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं ।

(7) मैं इस आवेदन के साथ अनुज्ञप्ति की विहित फीस जमा कर रहा हूं ।

घोषणा

(क) मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

(ख) मैंने/हमने पैराफिन मोम (प्रदाय वितरण और कीमत नियंत्रण) आदेश 1972 से संलग्न प्ररूप 'ग' में दिए गए निबन्धनों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम और पता

(स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख :

स्थान :

प्ररूप ग

(खण्ड 8(4) देखिए)

अनुज्ञप्ति का प्ररूप

अनुज्ञप्ति सं०

जारी करने की तारीख

कब तक विधिमान्य है

.....राज्य में पैराफिन मोम का कारबार चलने की अनुज्ञप्ति को एतद्द्वारा राज्य में नीचे विनिर्दिष्ट स्थान पर नीचे वर्णित निबन्धनों और शर्तों तथा पैराफिन मोम (प्रदाय वितरण और कीमत नियतन) आदेश 1972 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पैराफिन मोम के विक्रय का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है ।

कारबार के स्थान का वर्णन

(1) नाम या अभिनाम जिससे कारबार चलाया जा रहा है

(2) विक्रय डिपो की अवस्थिति

(3) विक्रय डिपो से संलग्न गोदामों की अवस्थिति

(4) पैराफिन मोम की किस्में जिनके लिए अनुज्ञप्त किया गया है :—

सक्षम प्राधिकारी

तारीख राज्य

अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें

(1) अनुज्ञप्ति कारबार के परिसरों के जनता के लिए खुले भाग में प्रमुख और सहजदृश्य स्थान पर सप्रदर्शित की जाएगी ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी पैराफिन मोम (प्रदाय, वितरण और कीमत नियतन) आदेश 1972 और उसके अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत अधिसूचनाओं के उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।

(3) अनुज्ञप्ति तुरन्त प्रवृत होगी और तक विधिमान्य होगी यदि वह तत्पूर्व रद्द या निलम्बित न की गई हो ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी को परिसर में, जहां वह पैराफिन मोम का विक्रय करने का अपना कारबार करता है, किसी परिवर्तन की अनुज्ञापन प्राधिकारी समय-समय पर सूचना देगा ।

टिप्पण. जहां पैराफिन मोम के विक्रय का कारबार एक से अधिक स्थानों पर किया जाता हो वहां प्रत्येक स्थान की बाबत अलग-अलग अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जानी चाहिए ।

[स० फा० के० 11011/5/71 (एम यू०)]

प्रमश्र क० दत्ते, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972